**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1653

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति को रोका जाना**

**1653. श्री के॰ सी॰ राममूर्तिः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सरकार या यूजीसी से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को हाल ही में शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति को रोकने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निदेशों का ब्यौरा क्या है और ऐसे समय में इस प्रकार के निदेश जारी करने के क्या कारण हैं जब उच्चतर शिक्षा के संस्थान शैक्षणिक कर्मचारियों की मांग कर रहे हैं; और

(ग) शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती को रोकने के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): संकाय की भर्ती, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) दिशानिर्देश, 2006 की धारा 6(ग) और 8(क) (V) के आधार पर की जा रही थी जिसमें विहित है कि आरक्षण रोस्‍टर बिन्‍दु निर्धारित करने के लिए कैडर या इकाई “विभाग/विषय” न होकर ‘विश्‍वविद्यालय/कॉलेज’ होना चाहिए।

माननीय इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने दिनांक 07.04.2017 के 2016 के सी.एम.डब्‍ल्‍यू.पी सं. 43260 के इसके आदेश में इस दिशानिर्देश को खारिज कर दिया था।

इन आदेशों के कार्यानवयन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्‍य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों में कमी आ सकती है। इस मुद्दे की जांच करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। तदुपरांत, अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों और विधि मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के बाद, यूजीसी और मंत्रालय ने भारत के माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के समक्ष क्रमश: 12.04.2018 और 16.04.2018 को अलग-अलग एसएलपी दायर की है।

इस दौरान मामले के न्‍यायाधीन होने के कारण यूजीसी ने उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं को भर्ती प्रक्रिया यदि, यह पहले चल रही है, स्‍थगित करने के निदेश जारी किए हैं।

**\*\*\*\*\***